



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022023-243750
CG-DL-E-20022023-243750

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]
No. 90]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 2023/फाल्गुन 1, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 2023/PHALGUNA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 112(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ..संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 115 में, -

(i) उप नियम (18) (i) में, 'तालिका 2' के पश्चात् दी गई 'टिप्पणियों' में,

क. मौजूदा खंड (19), निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(19) (क) टाइप अनुमोदन के दौरान और 1 अप्रैल, 2020 में सीओपी लागू होने पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए पीईएमएस का इस्तेमाल करते हुए रियल वर्ल्ड ड्राइविंग साइकल उत्सर्जन का माप लिया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद निर्मित एम और एन श्रेणी के वाहनों, जिनके सकल वाहन वजन 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, के सभी मॉडलों के लिए पीईएमएस का इस्तेमाल करते हुए रियल वर्ल्ड ड्राइविंग साइकल उत्सर्जन माप के दौरान अनुरूपता कारक लागू होगा। विस्तृत प्रक्रिया एआईएस 137 और समय-समय पर यथा संशोधित में अधिकथित की जाती है।

ख. खंड 19(क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(19) (ख) टाइप अनुमोदन के दौरान, अनुरूपता कारक (सीएफ), नीचे दी गई तालिका 1 के अनुसार होगा:-

तालिका 1: अनुरूपता कारक (सीएफ)

प्रदूषक	सीएफ ^{प्रदूषक}
एनओ _{एक्स}	1 + मार्जिन ⁽³⁾ एनओ _{एक्स} मार्जिन के साथ एनओ _{एक्स} = 0.43
पीएन ⁽¹⁾	1 + मार्जिन ⁽³⁾ पीएन मार्जिन के साथ पीएन = 0.5
सीओ ⁽²⁾	-

(1) के लिए लागू: केवल पॉजिटिव इग्निशन (डाइरेक्ट इंजेक्शन) इंजन और संपीडन इग्निशन इंजन

(2) सीओ उत्सर्जन को आरडीई परीक्षणों में मापा और दर्ज किया जाएगा।

(3) पीईएमएस उपकरण द्वारा पेश की गई अतिरिक्त माप अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए मार्जिन एक पैरामीटर है।

(ii) उप नियम (18)(ii) में, 'तालिका 2' के पश्चात् दी गई 'टिप्पणियों' में,

क. मौजूदा खंड (12) (क), निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(12)(क) टाइप अनुमोदन के दौरान और 1 अप्रैल, 2020 में सीओपी लागू होने पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए पीईएमएस का इस्तेमाल करते हुए वाहनों के उत्सर्जन का माप सड़क पर लिया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद निर्मित एम और एन श्रेणी के वाहनों, जिनके सकल वाहन वजन 3500 किलोग्राम से अधिक है, के सभी मॉडलों के लिए पीईएमएस का इस्तेमाल करते हुए रियल वर्ल्ड ड्राइविंग साइकल उत्सर्जन माप के दौरान इन-सर्विस अनुरूपता कारक लागू होगा। विस्तृत प्रक्रिया एआईएस 137 और समय-समय पर यथा संशोधित में अधिकथित की जाती है।

क. खंड 12 (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"इन-सर्विस पीईएमएस उत्सर्जन परीक्षण के लिए अधिकतम अनुमत अनुरूपता कारक (सीएफ), नीचे दी गई तालिका 1 के अनुसार होंगे: -

तालिका 1: इन-सर्विस अनुरूपता उत्सर्जन परीक्षण के लिए अधिकतम अनुमत अनुरूपता कारक (सीएफ)

मानदंड	अधिकतम अनुमत अनुरूपता कारक (सीएफ)
सीओ	1.5
टीएचसी ⁽¹⁾	1.5
एनएमएचसी ⁽²⁾	1.5
सीएच ₄ ⁽²⁾	1.5
एनओ _{एक्स}	1.5

(1) संपीडन इग्निशन इंजन के लिए

(2) पॉजिटिव इग्निशन इंजन के लिए”

[फा. सं. आरटी-11036/78/2016-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण.- मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा. का. नि. _____ (अ) दिनांक _____ के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

G.S.R. 112(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (....Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115, -

(i) in the sub rule (18)(i), in the ‘Notes’ given after ‘Table 2’,

a. the existing clause (19), following shall be substituted:

“(19) (a) During type approval and COP applicable from 1st April, 2020, real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection. For vehicles of category M and N having gross vehicle weight not exceeding 3500 kgs, manufactured on or after 1st April 2023 for all models, during real world driving cycle emission measurement using PEMS, conformity factor shall be applicable. The detailed procedure is laid down in AIS 137 and as amended from time to time.”

b. after the clause 19(a), following shall be inserted, namely : -

“(19) (b) During the Type Approval, the Conformity Factor (CF), shall be as per Table 1 below:-

Table 1: Conformity Factor (CF)

Pollutant	CF _{pollutant}
NO _x	1 + margin ⁽³⁾ NO _x With margin NO _x = 0.43
PN ⁽¹⁾	1 + margin ⁽³⁾ PN With margin PN = 0.5
CO ⁽²⁾	-

⁽¹⁾ Applicable for: Positive Ignition (Direct Injection) engines & Compression Ignition Engines Only

⁽²⁾ CO emissions shall be measured and recorded at RDE tests.

⁽³⁾ Margin is a parameter taking into account considering the additional measurement uncertainties introduced by the PEMS equipment”.

(ii) in the sub rule (18)(ii), in the ‘Notes’ given after ‘Table 2’,

a. the existing clause (12)(a), following shall be substituted:

“(12) (a) During type approval and COP applicable from 1st April, 2020, emission measurement on vehicles using PEMS shall be carried out on road for data collection. For category M and N vehicles having gross vehicle weight exceeding 3500 kgs, manufactured on or after 1st April 2023 for all models, during real world driving cycle emission measurement using PEMS, In-service conformity factor shall be applicable. The detailed procedure is laid down in AIS 137 and as amended from time to time.”

a. in the clause 12 (c), the following proviso shall be inserted, namely: –

“The Maximum Allowed Conformity Factors (CF) for In-Service PEMS Emission Testing, shall be as per Table 1 below:-

Table 1: Maximum Allowed Conformity Factors (CF) for In-Service Conformity Emission Testing

Parameter	Maximum Allowed Conformity Factor (CF)
CO	1.5
THC ⁽¹⁾	1.5
NMHC ⁽²⁾	1.5
CH ₄ ⁽²⁾	1.5
NO _x	1.5

⁽¹⁾ For Compression Ignition Engines

⁽²⁾ For Positive Ignition engines”

[F. No. RT-11036/78/2016-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. ____ (E) dated ____